सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/606/2015 ऑनलाईन नम्बरः–2015/00678 प्रवेश तिथिः–29.11.2015

1. रामेश्वर पुत्र भरथा कोम ब्राहम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। .....वादी

बनाम

1. छीतर पुत्र भौरेलाल कौम ब्रहाम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। मृतक जरिये वारीसान–
   1/1. हरीशंकर पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 45 साल।
   1/2. रामजीलाल पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 40 साल।
   1/3. हजारीलाल पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल।
   1/4. दिनेश चन्द प पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 30 साल।
2. रामनाथ पुत्र भौरेलाल कौम ब्रहाम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

दावा रा0का0अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 88,
उपस्थितः– श्री एम.एल. जैमन एड0–वादी
श्री सुरेन्द्र माथुर एड0–प्रतिवादी

–:निर्णयः– दिनांक 23.12.2024

1.आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया जाकर विवादित आराजी का खातेदार घोषित करने एवं हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करने का निवेदन किया है संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है–

2. साबिक आराजी खसरा संख्या 1773 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर जिसके हाल खसरा संख्या 1535 रकबा 5 बिस्वा है। उक्त विवादित आराजी को बुजुर्गान के समय से काश्त करता आ रहा है। मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नही है। प्रतिवादी का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ना ही उस पर कास्त की प्रतिवादीयों ने बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान से मिलकर अपने भाई छाजु के नाम दर्ज करवा लिया। जो खिलाफ मौका व नियम जिसके इन्द्रा हाने से वादी के हकूक जायद होत है। प्रति ने दिनांक 10.07.1987 को कोई दुरूस्त कराने हेतु कहा तो साफ इन्कार हो गये अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाये जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये व उनकी तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादी विवादित आराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है। हमेशा से प्रतिवादीगण हमेश यानी सम्वत 207 से पूर्व ही उक्त भूमि से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर प्रतिवादीगण ने फराल बो रखी

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

है। प्रतिवादीगण ने कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी से मिलकर मुताविया आराजी को अपने नाम दर्ज नही कराई है। बल्कि उक्त भूमि को प्रतिवादीगण हमेशा से ही काश्त करते थे। उक्त बन्दोबस्त में भी प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और मौके के मुताबिक ही बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण के ना सही रिकार्ड दर्ज किया है। जो सही व सत्य है। जब भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी है तो वादी ने दावा गलत बिनायदावी पर पेश किया है। अन्त में वकील प्रतिवादीगण ने दावा खारीज करने का निवेदन किया।

4. वाद पत्र में तनकी कायम करके सुनाई गई जो निम्नानुसार है–

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा संख्या 1535/0.05 गत, खसरा संख्या 1773/0.06 वाके ग्राम तालाब के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।
2. आया प्रति0 की मृतक भाई छाजू ने राजस्व कर्मचारियान से मिलकर विवादित आराजी की खातेदारी अपने गलत खिलाफ मौका दर्ज करानी तथा वादी संशोधन कराने का मुरतइक है।
3. आया विवादित आराजी पारिवारिक बटवारे के द्वारा प्रति के हिस्से आई है।
4. अन्य दादरसी।

5. प्रकरण में दावे के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य हेतु रामेशवर , कैलाश राधाकिशन, शंकरलाल, के पेश किये जो लेखबद्व कराये गये जो शामिल मिशल है।

6. प्रकरण में दावे के समर्थन में प्रतिववादी द्वारा साक्ष्य हेतु लालाराम, दिनेश, रामदयाल, किशोर गोपाल, रामकिशोर, के पेश किये जो लेखबद्व कराये गये जो शामिल मिशल है।

7. दावे के समर्थन में प्रतिवादी निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार हैं–

नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2002–2009 प्रदर्श–1
नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2013–16 प्रदर्श–2
नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 प्रदर्श–3
नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2020 प्रदर्श–4
नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2045 प्रदर्श–5
नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2049 प्रदर्श–6
नकल गिरधावरी सम्वत् 2046 प्रदर्श–7
नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श–8
गिरधावरी सम्वत 2069–72 प्रदर्श–9

8. प्रकरण में बहस विद्वान वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुये निवेदन किया कि साबिक आराजी खरारा संख्या 1773 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ जिला अलवर जिसके हाल खसरा संख्या 1535 रकबा 5 बिस्वा है। उक्त विवादित आराजी को बुजुर्गान के समय से काश्त करता आ रहा है। मौके पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नही है। प्रतिवादी का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। ना ही उस पर कास्त की प्रतिवादीयों ने बन्दोवस्त विभाग के कर्मचारियान से मिलकर अपने भाई छाजु के नाम दर्ज करवा लिया। जो खिलाफ मौका व नियम जिसके इन्द्रा होने से वादी के हकूक जायद होत है। प्रति ने दिनांक 10.07.1987 को कोई दुरूस्त कराने हेतु कहा तो साफ इन्कार हो गये अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी डिक्री फरमाये जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

9. प्रकरण में बहस विद्वान वकील प्रतिवादी की सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकील प्रतिवादी साबिक आराजी खसरा संख्या 1773 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्राम तालाब तहसील राजगढ़ जिला अलवर में स्थित है। वादी विवादित आराजी पर कभी भी काबिज नही रहा है। हमेशा से प्रतिवादीगण हमेश यानी सम्वत 207 से पूर्व ही उक्त भूमि से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर प्रतिवादीगण ने फसल बो रखी है। प्रतिवादीगण ने कभी भी कोई सरकारी कर्मचारी से मिलकर मुताविया आराजी को अपने नाम दर्ज नही कराई है। बल्कि उक्त भूमि को प्रतिवादीगण हमेशा से ही काश्त करते थे। उक्त बन्दोबस्त में भी प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और मौक के मुताबिक ही बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादीगण के ना सही रिकार्ड दर्ज किया है। जो सही व सत्य है। जब भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी है तो वादी ने दावा गलत बिनायदावी पर पेश किया है। अन्त में वकील प्रतिवादीगण ने दावा खारीज करने का निवेदन किया।

10. बहस वकुलाय पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया बाद गोर दावा वादी खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, साबिक आराजी खसरा नम्बर 1773 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्रात तालाब जिसके हाल आराजी खसरा संख्या 1535 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्रात तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर दावा वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आज यह निर्णय दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/606/2015 ऑनलाईन नम्बर:–2015/00678 प्रवेश तिथि:–29.11.2015

1. रामेश्वर पुत्र भरथा कौम ब्राहम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। .....वादी

बनाम

1. छीतर पुत्र भौरेलाल कौम ब्रहाम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर। मृतक जरिये वारीसान–
   1/1. हरीशंकर पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 45 साल।
   1/2. रामजीलाल पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 40 साल।
   1/3. हजारीलाल पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल।
   1/4. दिनेश चन्द प पुत्र श्री छीतर जाति ब्राहम्ण उम्र 30 साल।
2. रामनाथ पुत्र भौरेलाल कौम ब्रहाम्ण निवासी ग्राम तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

दावा रा0का0अधि0 1955 अन्तर्गत धारा 88.
उपस्थितः– श्री एम.एल. जैमन एड0–वादी
श्री सुरेन्द्र माथुर एड0–प्रतिवादी

–:पर्चा डिक्री:– दिनांक 23.12.2024.

आदेश है कि

दावा वादी इस्तकरारहक्क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, साबिक आराजी खसरा नम्बर 1773 रकबा 6 बिस्वा वाके ग्रात तालाब जिसके हाल आराजी खसरा संख्या 1535 रकबा 5 बिस्वा वाके ग्रात तालाब तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर दावा वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है।

आज यह निर्णय दिनांक 23.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर